RASHTRIYA KISAN COLLEGE, SHAMLI

NAAC 'B' Accredited

(Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur & Chaudhary Charan Singh University, Meerut)

PROSPECTUS 2024-25

SUCCESS MATTERS

SHAPING CAREERS, SHAPING FUTURES

www.rkcollege.in

Prof. Satyendra Pal
(Principal)

College at a Glance

NAAC 'B' ACCREDITED

Establishment year	:	July 1958 (Approved by UGC)
Affiliation	:	1958 Agra University, Agra 1965 Meerut University, Meerut (at Present Maa Shakumbhari University, Saharanpur & Chaudhary Charan Singh University, Meerut)
Founded By	:	Kisan Vidya Sabha, Shamli
Faculty of Agriculture	:	Under Graduation (UG) & Post Graduation (PG)
Faculty of Science	:	Under Graduation (UG) & Post Graduation (PG)
Faculty of Commerce	:	Under Graduation (UG)
Regular Courses	:	B.Sc.(PSM, PCM,CBZ), Since1958 B.Sc. (Ag.), Since 1960 M.Sc. (Chemistry), Organic, Since 1992 M.Sc. (Physics), Solid State Since 1986 & M.Sc. (Physics) Electronic, Since 2000
Self Finance Classes	:	M.Sc (Botany), Since 2006 M.Sc. (Ag.), Agronomy Since 2001& M.Sc. (Ag.), Horticulture, Since 2007 B.Com, Since 2010
College Management	:	By Management Committee
Students	:	Regular boy & Girl students around 2000 per session
Building & Sports	:	Well Furnished Building and Big Sport ground
Library Facility	:	Adequate and well-equipped with Wi-Fi Facility
Computer, Science & Agr. Lab	:	Adequate and well-equipped with Wi-Fi Facility
National Service Scheme	:	Three units (Boys, Girls & Combined)
N.C.C.	:	One Company (Boys & Girls)
Rovers & Rangers	:	One Company (Each)
Wi-Fi	:	24x7 Facilities
Surveillance	:	24x7 CCTV Surveillance in whole premises
Hostel Facility	:	Available
Electricity & Drinking Water	:	24x7 Available
Security Guards	:	24x7Available
Mobile App	:	RKPG COLLEGE SHAMLI (download from play store)

Rashtriya Kisan (Post Graduate) College

Shamli – 247776

NAAC 'B' Accredited

(Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur
& Chaudhary Charan Singh University, Meerut)

Prospectus In-charge :
Dr. Chandra Bali Patel
Assistant Professor, Botany

Co-In-charge :
Dr. Mange Ram
Assistant Professor, Entomology
Mrs. Darshana Singh
Assistant Professor, Zoology

Prof. Satyendra Pal
Principal

A Brief Introduction of R.K. (P.G.) College

Rashtriya Kisan Post Graduate College, Shamli is a prestigious college of western Uttar Pradesh to provide the higher education needs of both urban and rural areas. It is one of the oldest colleges affiliated to CCS University Meerut & at present affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur. R.K.(P.G.) College, Shamli was founded by the efforts of late Shri Virendra Verma, Ex-Governor of Punjab and Himachal Pradesh, a farmer and eminent politician of western U.P. Late Sri Udaiveer Singh, a prominent farmer of western U.P. made a historic contribution by donating 252 bigha (99.58 acres) of agricultural land for the development of this college, which leads to affiliation of the agriculture faculty in the college. Along with the great contribution of Verma Family, every farmer of Shamli Cane Society, contributed towards the construction of this college.

The college has two campuses. This college was established in 1958 in old campus at Barkhandi. Since 2000-2001, it has been shifted to new campus at Karnal Road. The new campus is covering an area of 9380 square meters. The college has agricultural land of about 350 bigha (138.86 acres) spread across at Sikka farm, Goharni farm and Karnal Road farm. The college is an important landmark in Shamli in the field of education and situated in an open and peaceful environment.

The college is Government Aided, Co-educational College. The college also runs several self-finance courses. Every year thousands of high merit students strive hard to take admission in this prestigious college of U.P. At present, the total strength of the college is approximately 2500.

R.K.(P.G.) College, Shamli has a glorious history of achievements in academics and other fields. Personalities from Judges, IAS, IFS, IRS, Doctors, Advocates, Social Workers, Scientists, leading Industrialists and Educationists have been produced.

The campus is constantly under CCTV surveillance & is equipped with wi-fi Facility. It has up to the mark facilities for all major sports and a top-class conference hall, a fully equipped library along with an adequate e–library, computer lab with wi-fi facility. The campus includes a girl hostel, guest house and teachers' quarters with 24x7 electricity & wi-fi Facility.

Aims and Objectives of R. K. (P.G.) College

1. Providing graduate and postgraduate level education, in the field of Agriculture, Science, Commerce etc. as a non-profitting institution.
2. Providing higher education to both boys & girls equally by setting up co-educational institution.
3. Making education a medium for students to establish human values like truth, non-violence and love.
4. Producing the spirit of national patriotism and world peace.
5. Creating Ideal Citizens.
6. Developing social, economic, political, psychological consciousness etc. among the students.
7. Awakening the responsibilities towards the nation.
8. To motivate the students to participate in various sports, physical and academic activities.
9. Consultation and guidelines for the overall development of students.

About Us

The Rastriya Kishan (P.G.) College, Shamli is located in a clean and pleasant environment on Meerut- Karnal Road. Its establishment was completed by the efforts of the late Shri Virendra Verma Ji, Former Governor of Punjab and Himachal Pradesh. The ultimate educational solution to fulfil the requirement of higher education in Shamli came into existence on 10thJuly 1958. Initially B.Sc. and B.Sc. (Agriculture) classes were started. Then this college was affiliated to Agra University, Agra. At present, the college is affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur & Chaudhary Charan Singh University, Meerut. Under-Graduate classes are currently running in Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Agriculture, Zoology, Botany. Post Graduate classes are running in Physics, Chemistry, Agriculture and Botany.

B.Com, M.Sc. (Botany) and M.Sc. (Agriculture) Fisheries and Garden Science are running under self-finance scheme.

There are well developed laboratories and lecture-rooms in the college. There is a big sport ground, N.C.C., N.S.S. and Rover Ranger units are also present in the college. There are well qualified teachers and acquainted supporting staff. The management of this college is safe in the hands of the Managing Committee.

Common Facilities to the Student

R.K. (P.G.) College Shamli has strengthened academic facilities in all fields. The College has well equipped Laboratories. All these laboratories are equipped with up-to-date facilities.

Games & Sports

College has its own playground and gymnasium, and various sports facilities like- Hockey, Football, Volleyball, Tennis, and Badminton etc. are provided for boys and girls separetely. Training to boys and girls in shooting is provided by Rifle Club.

Library and Reading Room

The library of R. K. (P.G.) College Shamli is well stocked with latest books, journals and periodicals. There is a stock of about 30,000 books in various disciplines like Physics, Mathematics, Chemistry, Engineering, Agriculture, Economics, Information Technology, Health, Physical Education, Yoga, Life Science, Botanical Science, Zoological Science, Philosophy, Statistics, Religion etc. Library usually opens from 10:00 am to 5:00 pm. Books are regularly issued to the students. The college has proper arrangement of Hindi and English newspapers and magazines.

Book Bank

In the college book bank, books are issued to poor students, excellent sports persons and studious students for the entire session according to the rules. The students have to return the book before the examination. Those who are not able to return the books before examination, the full cost of the book shall be recovered before the examination.

National Service Scheme (NSS)

The National Service Scheme (NSS) is an Indian government-sponsored public service

program conducted by the Department of Youth Affairs and Sports of the Government of India. Popularly known as NSS, the scheme was launched in Mohan Das Karam Chand Gandhi's (Mahatma Gandhi's) Centenary year, 24 September 1969. The motto of NSS is **'NOT ME BUT YOU'**. This reflects the essence of democratic living and upholds the need for selfless service and appreciation of the other person's point of view and also to show consideration for fellow human beings. The college organizes regular NSS activities and special camps. The students are expected to work 120 hours in various service activities in a year. The students of R.K.(P.G.) College Shamli have involved themselves in medico social service, AIDS awareness, community development programs, sanitation drives, blood donation, and cleaning and environmental awareness seminars and also in the celebration of national and international days such as Republic Day, Independence Day, and Women's Day etc. Camps are organized in rural areas on regular basis. R. K. (P.G.) College Shamli has three units of NSS.

National Cadet Corps (NCC)

The Motto of NCC is **"UNITY AND DISCIPLINE"**. Unity means the oneness, irrespective of the caste, colour or creed. Discipline is the basic quality needed for all the youth of this Nation. The colleges and schools issue NCC certificate. This certificate carries weightage in various competitive exams conducted by state and central government. NCC camps are arranged to train people trained in the services of parades and military training in small arms. They have a NCC song 'Ham sabh Bhartiya Hain'. The College has an Army Wing of NCC. Our students participate in the Republic Day parade, National Level Camps and various social awareness programs. R.K.(P.G.) College Shamli has a Unit of NCC, as 85 UP Battalion. The incharge of this unit is Prof. Krishan Pal.

Rover/Rangers (Scouting Guiding)

There is also a provision for training of Rover/Rangers in the college. Interested Students should contact the In-charge professor. This training is for students of the undergraduate classes only. Essential Instructions: Students can choose one and only one from N.S.S, N.C.C. and Rover/Rangers (Scouting Guiding).

Student- Representation

Student-Representation is fully supported by the college administration. There is a proper representation of students in the sports committee, disciplinary committee, student aid fund committee, magazine & journal editorial board and other diverse creative programs. Eligible students should contact the principal immediately after admission, thereby presenting prior certificates.

Prizes, Medals and Certificates

Prizes are also given to the talented students by the respective subject councils. Students who receive the highest marks in different classes and different subjects, or have special interest in sports and exercise etc. and show special abilities are also given awards, medals and qualification certificates by the college.

College Magazine

The annual Magazine **'Gyan Jyoti'** is

published by the college. In this, articles of students, non- teaching staffs, and teaching staffs are published. A committee which edits this magazine can include the teachers and the students. Students can give their compositions for the upcoming session.

Medical (Dispensary)/ Fisrt-Aid Facility

A medical/first-aid facility is available in the college for the students, which also includes part-time medical consultant and medicines as well.

Cycle Stand

The bicycle stand facility is also available for the students in college premises. It is compulsory for the visitors to park their vehicles at a designated place in the college.

Placement and Career Guidance

The central objective of R.K.(P.G.) College, Shamli is to match education with employment. The college has a Placement-Cell which is very active and works in association with the Placement-Cell of various Universities. The students get successful placement in various National/Multinational Companies every year.

The Association of Alumni

The Association of Alumni has been constituted in the College. The objectives of which are to introduce the Alumni to the existing students and administration of the college with constant contact and information available. With the establishment of this association, it is possible to consider many important cases in the interest of the college.

Grievance and Redressal Cell

The college has also established a grievance and redressal cell, the main purpose if whuch is to ensure quick and proper resolution of all the complaints related to the college campus, education and administration etc.

Research, Consultation and Expansion

The main goal of this cell is to provide information regarding research process related consultation and expansion plans in various postgraduate departments and to encourage students to do research in the college.

Quality Improvement Committee

An improvement committee has been set up for the continuous improvement in quality of the academic and administrative area of the college. Under this process, necessary action is taken by receiving feedback from the students, teaching and non-teaching staffs of the college.

Faculty and Subject Councils

Faculty and subject councils are formed for the development of various disciplines in the college. All faculty and postgraduate level students of the physics department are the members of Raman Physical Council. Agricultural council consists of graduate and postgraduate student members of the Agriculture Faculty. Each council organizes various events such as seminar, debates, and essay writing etc.

Computer Center

All students are provided facilities and education as per rules by the use of computer multimedia projector.

Arboretum

An Arboretum has been established to give specific information about the utility of the environment, in which about 150 species of trees have been planted. Our goal is to plant around 500 species of trees.

Pharmaceutical Botanical garden

A Pharmaceutical Botanical garden has been established in the Department of Botany to provide information about the use of medicinal plants and utility of plants.

Yoga Center

A Yoga Center has been set up for the mental and physical development of students, in which the information and training of meditation, pranayama, yoga etc. are provided.

Physical Education

A Curriculum has been prescribed for the Physical Education. Teaching time will be daily (excluding holidays) from 8:30 am to 4:30 pm. After this the students perform games and other physical activities. The timetable of theoretical and experimental classes for physical education run accordingly.

Training and Appointment Cell

A Training and Appointment Cell is being run by the college for guidance on the career and livelihood selection of the students. Through this, students get training about business, scholarship, competitive examinations and detailed information about higher education in the country and abroad.

Girls Hostel

Our Girl's hostel provides housing and nutritious food facilities with adequately safe and modern facilities at appropriate rates for the girls of the college.

Reservoir Water Conservation

A Water Conservation and Rainwater Harvesting System has been established in the college, by which the students are motivated to know the worth of water and make public awareness.

Student Welfare Council

A Student Welfare Council has been set up in the preservation and guidance of the Dean for providing information regarding the rights and responsibilities of the students through which students' problems are resolved successfully.

Financial Assistance: Scholarship

R.K.(P.G.) College Shamli helps the SC/ST and economically poor students for availing scholarship from Social Welfare Departments of UP Government. The students who avail scholarship should compulsorily have a bank account in their names for the benefit of scholarship.

Committee for the Student Fund

A committee is established to take care of caution money, poor student fund, student welfare, magazine, sports fund and Medical fund etc. This committee consists of Principal and a senior faculty/incharge along with three regular students. The name of other members for the said committee are determined by the related committee.

Courses
Govt Aided Courses
Under Graduate (UG) Courses

Course Name	Subject	No of Seats	Eligibility	Admission Criteria
B.Sc. (PCM)	Physics, Chemistry, Mathematics	80	Intermediate (PCM)	University Merit
B.Sc. (PSM)	Physics, Statistics, Mathematics	80	Intermediate (PCM)	University Merit
B.Sc. (BIO)	Chemistry, Zoology, Botany	160	Intermediate (Bio Group)	University Merit
B.Sc. (Ag) Hons.	Agriculture Group	160	Intermediate with Ag, Bio or Maths group	University Merit

Post Graduate (PG) Courses

Course Name	Subject	No of Seats	Eligibility	Admission Criteria
M.Sc.	Physics (Solid State & Electronic)	20	B.Sc. With Science Group	University Merit
M.Sc.	Chemistry (Organic)	20	B.Sc. With Science and Bio Group	University Merit

Self Finance Courses
Under Graduate (UG) Course

Course Name	Subject	No of Seats	Eligibility	Admission Criteria
B.Sc. (PCM)	Physics, Chemistry, Mathematics	80	Intermediate (PCM)	University Merit
B.Com.	Commerce Group	160	Intermediate in any Stream	University Merit
B.Sc. (Ag) Hons.	Agriculture Group	80	Intermediate in Ag. or Biology	University Merit

Post Graduate (PG) Courses

Course Name	Subject	No of Seats	Eligibility	Admission Criteria
M.Sc.	Botany	30	B.Sc. Bio Group	University Merit
M.Sc. (Ag.)	Agronomy	30	B.Sc. (Ag)	University Merit
M.Sc. (Ag.)	Horticulture	30	B.Sc. (Ag)	University Merit
M.Sc. (Ag.)	Ag. Economics	30	B.Sc. (Ag)	University Merit
M.Sc. (Ag.)	Ag. Extension	30	B.Sc. (Ag)	University Merit

Special Instructions for Applicants

Application form for admission in various classes (including detail of the courses), can be obtained from the month of June for each academic session, after paying prescribed amount to the college. Bachelor's eligibility list/cut-off list for admission in first year will be displayed on the Notice Board. According to the admission declaration date, the admission shall be granted by the admission committee; and by showing the original certificate and mark sheet, the admission slip will be issued and the applicants will be required to deposit the fees immediately as per the norms of the fee office. If the fees is not deposited as per instructions of office, the admission of the students would be automatically cancelled.

For Admission to the postgraduate classes, the admission process will be started after the qualifying list/cut-off list is declared by the college/university. The date of admission can be changed by the University. Students must watch the information on the college notice board/ university website on regular basis. Institutional students of second and third year of the college will be admitted on the basis of enrollment after obtaining their mark sheet either from college or from university website. No qualification list/ merit list will be displayed for the students. Students who have not passed in all papers and have an opportunity to clear a particular paper by appearing in the back paper examination, will be provisionally admitted to the next year as per rules and admission will be confirmed after qualifying back paper examination.

1. After depositing the admission fee - a part of the slip (submission), by presenting to the admission incharge of concern subject, please make sure your name is in the register.
2. On receipt of false certificates and false statements, the student's admission will be immediately cancelled. A disciplinary action can also be taken against him/her. Fees will not be refunded.
3. For any reason if the admission of the student is not approved by the university, the student will be solemnly responsible for this. So the entry of the student till the serial number is allocated by the university will be provisional.
4. All the admission-related instructions are mentioned on the notice board/ university website. Information regarding admission will not be given by post. If the candidate raises the loss due to negligence of the notice board, then it is the liability of his/her own.

Admission Process

Candidates interested in admission should also pay special attention to the following points in the admission process.

(i) Admission will be made in **online mode only** on the prescribed application form, witch will be available on the **college wesite www.rkcollege.in**

(ii) Certified truth/ xerox copies of the following certificates should be enclosed with the application Form :

(a) All marksheet and certificates of high school and beyond (including birth certificate).

(b) All the other certificates like Income Certificate, Caste Certificate, Domicile and Physically Disabled Certificate (if applicable).

(c) All the other certificate if applicable like NCC, NSS, Sport Certificate etc.

(d) For the students who migrate from other schools, character certificates given by the Principal of their last school and character certificate given by any gazetted officer for private students or by any important person / officer only is accepted by the admissions committee.

Note :- Candidates studying in Rastriya Kisan College do not need to submit character certificate.

(iii) Each applicant has to submit 3 copies of the recent passport size photograph, to be used on the application form of a chief proctor, identity card and on the application form.

(iv) Every applicant who has passed the last examination from any recognized body outside Uttar Pradesh, permanent residence (Domicile) certificate, by the competent authority will have to be submitted, it is necessary to attach with the application form.

(v) Candidates will be required to submit the following documents at the time of admission/counseling/interview, Transfer Certificate and the original copy of the letter of permission in the college before the committee. On being satisfied with every type of admissions committee, the admission slip will be given to the candidate for depositing the fixed fee of the college.

(vi) Students who have passed Intermediate examination from other district, T.C. should be signed by concerned District Inspector of School.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में प्रवेश-सम्बन्धी दिशा निर्देश
National Education Policy 2020 : Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणी :

- यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी०एस०सी० एवं बी०कॉम० पर सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।

2. प्रवेश की व्यवस्था :

- सत्र 2024-25 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कृषि आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (PCM, BZC, PSM etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।
- विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।

- कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट ($3 \times 4 = 12$) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा।
- स्नातक स्तर के प्रत्यके विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

3. कक्षाओं हेतु समय-सारिणी :

- सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारिणी (Time Table) तैयार कर लें। जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित गौण पेपर (Minor Elective Paper) की कक्षाओं के लिये कोई एक ही वादन (Period) समय-सारिणी में निर्धारित किया जाये जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने-अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार इन विषयों की परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिये एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनःप्रवेश ले सकेगा।

5. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

- सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

- विद्यार्थी न्यनूतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट (न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे अगो विद्यार्थी न्यनूतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यनूतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्षो में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेंडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (PeRequisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

6. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :

- क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ :

- विद्यार्थी यू०जी०सी०/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टेल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होगें।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रतिसूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

8. परीक्षा व्यवस्था :

- सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होगें, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यकमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- असाइनमेंट तथा क्लास टैस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

9. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है :

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

10. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) :

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा-

- **प्रथम सेमेस्टर :** खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- **द्वितीय सेमेस्टर :** प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- **तृतीय सेमेस्टर :** मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Enironmental Studies)
- **चतुर्थ सेमेस्टर :** शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Eduaction and Yoga)
- **पंचम सेमेस्टर :** विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awereness)
- **षष्ठ सेमेस्टर :** संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

Admission Process for Affiliated Colleges/Institutes in Maa Shakumbhari University, Saharanpur

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित सस्थानो के लिए प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानो में प्रवेश और शिक्षणकार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/सरस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuniversity.ac.in / www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होगें। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेगें। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवणह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग हेतु (कुल 5 प्रतिशत शासनादेश 2016 के अनुसार) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचितजनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव ससांधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश सख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षणसंस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिहं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पार्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.msuniversity.ac.in / www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी। विषय संयोजन आंवटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट

करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायगें।

नोट :— यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होगें तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण—पत्र एवं आरक्षण प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय / संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015—16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षणन होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री का प्रवेश, उनके माता—पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय / संस्थान से दूसरे महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्यों / निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों / सस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(v) स्ववित्तपोषित सस्थानों पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।

(च) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी0बी0एस0ई0,आई0सी0एस0ई० आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठयक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।

(छ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोडकर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।

(ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय

को छोडक़र एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोडकर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(झ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होगें जिन्होंने हाई स्कलू एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बार्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ञ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होगें जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होनें 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

1. विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालयके किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

2. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएगें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन सीट सख्या प्रति विषय प्रति उपलब्ध मान्य शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय को देगे मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत होने पर इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यो को न तो निर्धारित सख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं। तब उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

3. ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/ सत्तर–2–2006–2 (166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870/सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर –1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेगें।''

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है।

निम्नलिखित विषय संयोजन स्नातक स्तर पर अनुमन्य नहीं है, किन्तु अन्तिम निर्णय विद्वत परिषद की बैठक के बाद घोषित किया जायेगा :–

अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र
हिन्दी तथा उर्दू
गणित तथा संगीत
सैन्य अध्ययन तथा गृहविज्ञान
राजनीति विज्ञान तथा सांख्यिकी
मनोविज्ञान तथा भूगोल
समाज शास्त्र तथा चित्रकला
शिक्षा तथा मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र

किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए0 में तीन साहित्यिक अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं हागें। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी0ए0 की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note :- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

5. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं

हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भाराकं (Weightage) दिए जायेगें :–

(अ) 4 प्रतिशत अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जिन्हानें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्तराष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति प्रमाण–पत्र धारक हो।

(ब) 4 प्रतिशत अधिभार माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(स) 4 प्रतिशत अधिभार माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(द)(i) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होनें NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) 2 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हताकक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होनें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होनें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होनें 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा –

(i) 4 प्रतिशत अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) 3 प्रतिशत अधिभार–राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) 2 प्रतिशत अधिभार– तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) 1 प्रतिशत अधिभार–द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

2 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित परीक्षण के पश्चात आवश्यकता अनुसार कुलपति जी के आदेश से Supernumerary किया जा सकता है।

नोट :– (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत तक का अधिभार ही देय होगा, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(iii) नियम 6(अ) के अन्तर्गत अधिभार स्नातकोत्तर और एल–एल0बी0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु तभी देय होगा जबकि अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय खेलों में महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हुए भाग लिया हो। इण्टर कॉलिज के स्तर पर भाग लेने वालों को यह अधिभार केवल स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ही मान्य होगा। ऐसे प्रमाण–पत्रों की जाँचोपरान्त प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

7. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

8. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम

वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय /चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल—एल0बी0 के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

9. एक विद्यार्थी को सस्थागत रूप में बी0ए0/बी0एस—सी0/बी0कॉम0/एल—एल0बी0, 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में एम0ए0/एम0एस—सी0/एम0एस—सी0 (कृषि)/एम0कॉम0/ एल—एल0एम0/एम0पी0एड0 चार वर्ष में बी0ए0, एल—एल0बी0 (इन्टीग्रटे डे) 8 वर्ष में बी0ए0 बी0एड0 (इन्टीग्रेड डे) 7 वर्ष में किन्तु स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा अधिकतम सात वर्षों में पूर्ण करनी होगी तथा बी0एड0/बी0पी0एड0 और एम0एड0 तीन वर्ष में, बी0एस—सी0 (कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र से मानी जायेगी जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. एम0एस—सी0, एम0ए0 भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होगें—

(i) महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देगें।

(ii) एम0एस—सी0 और एम0ए0 में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0एस—सी0/बी0ए0 में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होगीं, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे। विद्यार्थी के योग्यता क्रम (मैरिटइन्डैक्स) का निर्णय तीन वर्षीय उपाधि की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जायेगा। इसी प्रतिशत में नियमानुसार देय अधिभार अंक भी जोड़े जायेंगे।

(iii) प्रस्तर (ii)पर दिये गये विषयों से अलग एम0ए0 के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम0एस—सी0 (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iv) एम0एस—सी0 और एम0ए0 (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातकस्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम0एस—सी0 सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है, परन्तु एम0ए0 प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होगें ।

एम0एस—सी0 बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजीग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटर साइंस/गणित/सांख्यिकी/माइक्रोबाइलोजी/बी0एम0एल0टी0/बी0 एस—सी0 (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम0एस—सी0 (गणित) में प्रवेश हेतु बी0सी0ए0, बी0टैक0 (मैकेनिकल, कम्प्यटूर साइंस, इफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी0एस—सी0(गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम0ए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अग्रेंजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम0ए0 (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0ए0(गणित)/बी0एस—सी0 (गणित)/बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम0ए0 (समाजशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0एस—सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थीभी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी0ए0 (समाजशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ix) एम0ए0 गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान,

दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्यअध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

11. (i) एल–एल0बी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायगें। एल–एल0बी0 (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक/पिछडा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात स्नातक से की जायेगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी विश्वविद्यालय से एल–एल0बी0 उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यनूतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एल–एल0एम0) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एल–एल0बी0 का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से जो कि इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है, एल–एल0बी0 के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

(iv) कोई भी महाविद्यालय एल–एल0बी0 प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेंगे।

12. (i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्ताकों को आधार माना जाएगा।

(ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0कॉम0, बी0ए0 अथवा बी0एस–सी0 में प्रवेश के लिए केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।

13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :
"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, एल–एल0एम0 व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

14. (i) बी0एड0/बी0पी0एड0 और एम0एड0/एम0पी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध मे ंविश्वविद्यालय के नियम बी0एड0, एम0एड0 के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) बी0एस–सी0 (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को बी0एस–सी0 (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या जीव विज्ञान में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी।
इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्य्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0ए0 (गृह विज्ञान)/बी0एस–सी0 (गृह विज्ञान) तथा बी0एस–सी0 (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होगें ।

(iii) केवल वे अभ्यर्थी एम0एस–सी0 (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे जिन्होंने बी0एस–सी0 (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम0एस–सी0 (कृषि) में प्रवेश, योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होंगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

17. (i) एम0कॉम0 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0कॉम0 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बी0बी0ए0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होगें किन्तु प्राथमिकता बी0कॉम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को दी जायेगी।

(ii) बी0सी0ए0/बी0टैक0 (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बी0एस–सी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम0एस–सी0 (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी0एस–सी0 (गणित) को दी जायेगी।

(iii) बी0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/ बी0एस–सी0 (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(iv) एम0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगी।

(v) एल–एल0बी0 (3 वर्षीय) एवं एल–एल0बी0 (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

(vi) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों द्वारा किये जायगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होगें।

18. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातकस्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

20. (i) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानदं संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी0ए0 प्रथम/एम0ए0 प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है वह बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06. 2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी0एड0/बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

21. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

25. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यनूतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

28. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

29. बी0एस–सी0 (फिजिक़ल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति / जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

30. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठयक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठय्क्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होगें।

31. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में छात्राओं को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

32. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर–4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

33. BJMC, BBA, BFA, B.El.Ed., में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यनूतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस0सी0 / एस0टी0 अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।

34. BMLT तथा BMM के लिए 10+2 पी0सी0बी0 / पी0सी0एम0 के साथ न्यनूतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस0सी0 / एस0टी0 अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। BOT, BRDIT तथा BPT के लिए मात्र पी0सी0बी0 अनुमन्य है। Post Basic Nursing के लिए 10+2 के साथ General Nursing and Midwifry में डिप्लोमा आवश्यक है। B.Sc. Nursing के लिए 10+2 मात्र पी0सी0बी0 / पी0सी0बी0ई0 के साथ न्यनूतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।

35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

40. M.Sc. (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. (Home Science) 50 प्रतिशत अंकोंके साथ रहेगी। Foods & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition–Dietetics) उत्तीर्ण छात्र उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि छात्र उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गयेसमय के भीतर पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हे रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नही किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

42. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, वह भी समान हों तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0 / आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Important Rules for Students

"शासनादेश संख्या–2555 / सत्तर–2–2007–2(166) / 2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678 / सत्तर–2–2006–2(166) / 2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870 / सत्तर–2–2000–2(166) / 2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371 / सत्तर–2–2006–2 (166) / 2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 यथावत लागू माने जायेंगे।

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। किसी भी महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरू(होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति / प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ;अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution.

महाविद्यालय में किसी प्रकार की छेड़छाड़, अस्त्र–शस्त्र लेकर आने एवं कक्षा में मोबाईल का प्रयोग करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Dress Cod

सभी छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में प्रतिदिन निर्धारित ड्रेस एवं महाविद्यालय आई०कार्ड० के साथ ही प्रवेश दिया जायेगा।

छात्रों के लिए निर्धारित ड्रेस : सफेद शर्ट (प्लेन), काली पेंट, काली टाई, काला जूता।

छात्राओं के लिए निर्धारित ड्रेस : सफेद कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, महरूम दुपट्टा (केवल वैवाहिता के लिए)।

Fees Structure

The following fees will be deposited in the College as per rule of University/U.P.Govt.

S.No.	Fees	Under Graduate	Post Graguate
1.	Tution fee	132/- @ Per Year	180/- @ Per Year
2.	Dearness fee	42/- @ Per Year	42/- @ Per Year
3.	Admission fee	3/- @ Per Year	3/- @ Per Year
4.	Registration fee	5/- @ Per Year	5/- @ Per Year
5.	Laboratory fee	20/- @ Per Year	20/- @ Per Year
6.	Fan fee	18/- @ Per Year	18/- @ Per Year
7.	Library fee	36/- @ Per Year	120/- @ Per Year
8.	Poor Boys fund	5/- @ Per Year	5/- @ Per Year
9.	Development fee	36/- @ Per Year	36/- @ Per Year
10.	Laboratory Caution Money (in 1st year only)	50/-	-----------------
11.	Library Caution Money (in 1st year only)	50/-	-----------------
12.	Sports fee	55/- @ Per Year	55/- @ Per Year
13.	Physical Education & Sports practical fee	60/- @ Per Year	-----------------
14.	Medical fee	12/- @ Per Year	12/- @ Per Year
15.	Reading Room fee	12/- @ Per Year	18/- @ Per Year
16.	Student Welfare fund	5/- @ Per Year	5/- @ Per Year
17.	Identity Card fee	3/- @ Per Year	3/- @ Per Year
18.	Cultural Activity fee	10/- @ Per Year	10/- @ Per Year
19.	Registration fee	100/- @ Per Year	100/- @ Per Year
20.	Admit Card fee	25/- @ Per Year	25/- @ Per Year
21.	Marksheet fee	35/- @ Per Year	35/- @ Per Year
22.	Self Finance Tution Fee	7500/- @ Per Year	9000/- @ Per Year
23.	Self-finances Laboratory Fee	--------	2000/- @ Per Year
24.	Rovers Rangers Fee	50/- -------------	-----------------
25.	Skill Development Fee (NEP)	250/- @ Per Sem.	-----------------
26.	Internal Examination Fee	100/- @ Per Year	100/- @ Per Year
27.	Internet Fee	--------------------	50/- @ Per Year

Examination Fees will be decided by University.

Rules Regarding Fees Structures

1. Library/Laboratory caution money refund

(A) On cancellation / suspension of the admission, or leaving the college without prior permission of the principal.

(i) The caution money will not be refunded.

(ii) All special features related to financial assistance will be cancelled.

(B) On completion of the academic session or in the middle of the academic session, caution money may be refunded after the permission of the principal.

2. The fees once deposited in the college will not be refunded in any situation.

Special Scholarship Facilities Provided

1. Financial Assistance

Scholarship given by the Government of India

- ❖ Low Income Group Scholarship
- ❖ National Loan Scholarship
- ❖ National Merit Scholarship
- ❖ National Merit Scholarship (for Teacher's Ward Only)

2. Scholarship given by the Uttar Pradesh State Government

- ❖ Scholarships **Will Not** be provided if the income of parents of SC/ST students exceed Two Lakh per annum.
- ❖ The income of parents of OBC, UNRESERVED category & other custodian students is more than One Lakh per annum, scholarship will not be provided .

3. Scholarship Provided by the College

- ❖ Economically Weaker Section/ Poor category Student Welfare Fund – Financial Assistance for the Economically Weaker Section/Poor Students is only provided after submission of the income certificate.
- ❖ Raman Physical Council – M.Sc. (Physics) Financial aid and awards for meritorious students who have acquired highest status in examination.

4. Tuition Fees Exemption

- ❖ Eligible - Poor Students may be exempted from tuition fees.

5. Railway Pass

- ❖ All Students may avail the Railway Pass as per rules.

6. Photostat

- ❖ All Students may be provided with Photostat facility at a reasonable rate.

7. Book Bank Scheme

- ❖ Books Stocks: Available books 2600 approx.
- ❖ Agriculture Books: Available books 1700 approx. (Provided by the Social Welfare Department).
- ❖ Only SC / ST students are provided with full course books according to the rules

Parents/ Guardians of the students studying in the college to know the academic progress of their wards have to contact to principal in each and every month.

1. To see the Principal's order and information, please keep an eye on the notice board on regular basis.
2. Spend your spare time in library/field for your academic progress.
3. Maintenance of discipline and well behavior is expected by each and every student.
4. It is mandatory to carry an identity card in the college campus. It's necessary to show the identity card when asked. Identity card is completely non-transferable and its misuse is punishable.
5. In the college campus, it is strictly prohibited to invite outsider. Disciplinary action will be taken against the students who break this rule.
6. In college premise smoking/ taking and keeping drugs and also keeping any kind of arms is strictly prohibited. The police action will be taken against them who will break this rule.
7. **Park your bicycle/vehicle at the designated place in the college premises. Student shall park vehicles at there own risk.**
8. Organizing programme and any kind of gathering in campus, without prior permission of the principal shall call for disciplinary actions.
9. The security of college property is the supreme duty of all.
10. The entry of male students in the women cell is strictly prohibited.
11. 75% attendance in each subject is compulsory for the university exam.
12. The calculation of student's attendance in each subject will be from the beginning of the academic session, regardless date of his/her admission.
13. The admission of students, who have been absent for 7 consecutive days in classes without the permission of the principal will be automatically cancelled. With the special permission of the principal (admission fee and delay charge) only, the admission will be given again.
14. In case of absence from the classroom without the permission of the principal, a fine of Rs. 2/- per day shall be imposed.
15. The principal has the right to expel/ remove any student whose conduct and behavior has been found against the rules and regulation of the college.

Important Information Required for Scholarship

1. Information Regarding Uniform/Mobile for students :

Students are required to attend the classes in proper uniform prescribed by the college. White kurta, white salwar, and white chunni/dupatta for girl's and white shirt, black pants/trousers, black tie & black shoes for boys. During the inspection by the Proctorial Board, those who will not be in the uniform can be sent back home. **In the class room use of mobile phones are strictly prohibited.**

2. Special Notice regarding Scholarship form:

The administration has provided the facility of scholarship to all the categories like general category, other backward classes, and scheduled castes scheduled tribes and minority classes of the students. Students must take special care while filling examination forms.

1. If the annual income of the parents of scheduled castes and scheduled tribe students is Rs. Two lakhs per annum or more, the scholarship will not be paid
2. If the annual income of the parents of Unreserved category/ other backward category students is Rs. One lakh per annum or more then scholarship will not be paid.
3. Student who takes admission in graduation first year will be given scholarship if they fill in the original application form for scholarship.
4. UG students of second, third or fourth year, fill new scholarship form. Such students fill the form with their first year registration no.
5. If the student has submitted scholarship form after taking the admission, but the examination form is not filled, then he/she is not eligible for getting scholarship, and if he/ she has got the scholarship, it will be recovered from him/her
6. Generally admission to scheduled castes and scheduled tribe is done free of cost/minimum fee. Students should know that according to rules they must deposit the fee within 15 days of receiving the scholarship. Apart from this, it is mandatory for the students to submit a college fee with in the one week after March 31st whether they get scholarship or not.

Regular College Staff (Teaching Staff)

Prof. Satyendra Pal	Principal	Ph.D., D.Sc.	rkpgcollegeshamli090@gmil.com	9953044654
Dr. Arvind Kumar	Professor (Ag. Chemistry)	M.Sc.(Ag.), Ph.D.	rastogiakumar62@gmail.com	9258145065
Dr. A.K. Gupta	Professor (Dairy Science & Technology)	M.Sc. (Ag.), Ph.D.	ganilk96@gmail.com	9927759988
Dr. Ajay Kumar	Asso.Professor (Ag. Engineering)	M.Tech, Ph.D.	dr.ajaysrishamli@gmail.com	8868824888
Dr. M.K. Jally	Professor (Ag. Economics)	M.Sc. (Ag.), Ph.D.	mkjally5@gmail.com	9837525668
Sh. Lokesh Kumar	Asso.Professor (Physics)	M.Sc., M.Phil	lokeshmalik2001@gmail.com	9997089381
Sh. Krishana Pal	Asso.Professor (Mathematics)	M.Sc., M.Phil	Krishanpal316@gmail.com	9411033679
Dr. Rajni Rani	Professor (Soil Chemistry)	M.Sc. (Ag.) NET, Ph.D.	rkpg.rajni@gmail.com	9457573075
Dr. P.K. Singh	Professor (Agronomy)	M.Sc. (Ag.), M.Phil NET, Ph.D.	singh.pk1971@gmail.com	9456457250
Dr. Manoj Kumar	Professor (Mathematics)	M.Sc., M.Phil, NET, Ph.D.	yamu_balyan@yahoo.com	9548753852
Dr. Parveen Ahmed	Professor (Physical Education)	M.P.E., M.Phil NET, Ph.D.	ahmedparveen77@rediffmail.com	7906140159
Dr. Sanjeev Kumar	Asso. Professor (Physics)	M.Sc., M.Phil, NET, Ph.D.	sanjeev_ccsu@yahoo.com	8979424981
Dr. Geeta devi	Asstt. Professor (Plant Pathology)	M.Sc. (Ag.) NET, Ph.D.	ujjwal2810@gmail.com	9410365456
Dr. Saurabh Kr. Pandey	Asstt. Professor (Statistics)	M.Sc., NET Ph.D, MBA	skp22222@gmail.com	9451982070
Dr. Chandra Bali Patel	Asstt.Professor (Botany)	M.Sc., NET Ph.D	patelcb1@gmail.com	9889319639
Dr. Mange Ram	Asstt. Professor (Entomology)	M.Sc. (Ag.), NET, Ph.D.	mrsaini1513@gmail.com	9319354197
Dr. Gajram Singh	Asstt. Professor (Dairy Science & Technology)	M.Sc. (Ag.) Ph.D.	singhgajram62@gmail.com	9411073244
Sh. Rishi Kumar	Asstt. Professor (Physics)	M.Sc.,M.Phil NET, GATE	rishirex@gmail.com	9412524411
Sh. Shrikant Varshney	Asstt. Professor (Zoology)	M.Sc.,M.Phil. NET, GATE	shrikantshrikant_2007 @rediffmail.com	8923025599

Sh. Rajguru	Asstt.Professor (Physics)	M.Sc., NET GATE	rajgur.hep@gmail.com	9629591062
Sh. Deepak Kumar	Asstt. Professor (Chemistry)	M.Sc.,NET	deepaktomar537@gmail.com	7053235085
Dr. Rohit Rana	Asstt. Professor (Entomology)	M.Sc. (Ag.), NET, Ph.D	rohitrana.ent@gmail.com	9045409045
Dr. Binita Kumari	Asstt. Professor (Ag.Economics)	M.Sc.(Ag.), NET Ph.D.	b.binitakumari@gmail.com	8950169196
Dr. Rani Mishra	Asstt.Professor (Botany)	M.Sc., NET Ph.D.	ranimisraau87@gmail.com	8707549063
Dr. Sunil Kumar Shroti	Asstt.Professor (Agronomy)	M.Sc. (Ag.), NET, Ph.D.	shrotiagro77@gmail.com	8279935960
Dr. Sneha Singh	Asstt.Professor (Agriculture Extension)	M.Sc. (Ag.), NET, Ph.D.	sneha30688@gmail.com	8005183832
Dr. Surendra Pal	Asstt.Professor (Agriculture Engineering)	M.Tech. Ph.D.	surendrapal774@gmail.com	8081245327
Dr. Ajay Kumar Singh	Asstt.Professor (Agriculture Botany)	M.Sc. (Ag.), NET, Ph.D.	ajaysingh13bhu@gmail.com	9807836946
Ms. Darshana Singh	Asstt.Professor (Zoology)	M.Sc. NET GATE	darshanasingh07@gmail.com	8368080245
Ms. Gayatri Tripathi	Asstt.Professor (Zoology)	M.Sc., NET	gayatri.tripathi1993@gmail.com	8874622109
Sh. Akash Kumar	Asstt.Professor (Chemistry)	M.Sc., NET GATE	ak76383@gmail.com	8882123463
Dr. Preetam Singh	Asstt.Professor (Physics)	M.Sc., NET GATE, Ph.D.	prisin204@gmail.com	9026729490
Dr. Shashi Shekhar	Asstt.Professor (Chemistry)	M.Sc., NET Ph.D.	shashishekhar.nature@gmail.com	9171501800

Teaching Staff - Self Finance Scheme (Approved by University)

Dr. Manoj Kumar	Asstt. Professor(Horticulture)	M.Sc. (Ag.), M.Phil., Ph.D.	manojkumar@gmai.com	9410620429
Dr. Sanjeev Kumar	Asstt. Professor(Horticulture)	M.Sc. (Ag.), Ph.D.	sanjeevkajal@gmail.com	9412830223
Dr. Sachin Kumar	Asstt. Professor(Agronomy)	M.Sc. (Ag.), Ph.D.	Sachink1422@gmail.com	8445304050
Dr. Ravi Kr. Bansal	Asstt. Professor(Commerce)	M.Com., Ph.D.	drravibansal@gmail.com	9412841418
Dr. Charu Goel	Asstt. Professor(Commerce)	M.Com., Ph.D,	charugoel1975@gmail.com	9837447273
Dr. Roopin	Asstt. Professor(Commerce)	M.Com.,Ph.D. NET, LL.B, AIBE	dr.roopin@gmail.com	9456887199
Mr. Vikas Kumar	Asstt. Professor(Agronomy)	M.Sc. (Ag.),NET	vikaskasana56@gmail.com	7983126668

Non Teaching Staff

Sh. Satendra Sharma	Steno./O.S. (Acting)	9319453115	satendrashamli@gmail.com
Sh. Arvind Kumar	Accountant	9411030109	arvindtarar7@gmail.com
Sh. Yashovardhan Verma	Senior Assistant	9027283339	yashovardahanverma196@gmail.com
Sh. Shiv Kr. Sharma	Senior Assistant	8445820007	shivkumarsharma26152@gmail.com
Sh. Vinayak Malik	Junior Assistant	9105115440	vmalik2611@gmail.com
Sh. Yogesh Kumar	Senior Lab Assistant	9760107185	sangwanashmit@gmail.com
Sh. Rupesh Kumar	Library Assistant	8171316358	rupeshnayak670@gmail.com
Sh. Rampal Singh	Sweeper	9457041478	
Sh. Rambir Singh	Gardner	9520596029	
Sh. Jagbir Singh	Daftari	9758239246	jagbir9758239246@gmail.com
Sh. Chandki Ram	Subordinate Staff	9627228425	
Sh. Ramesh Chand	Watchman	9756266750	
Sh. Shamshad	Subordinate Staff	9639949476	
Sh. Sanjay Kumar	Subordinate Staff	9456081081	
Sh. Vijay Kumar	Subordinate Staff	7668694312	
Sh. Sanjeev Kumar I	Subordinate Staff	7302025269	
Sh. Sanjeev Kumar II	Subordinate Staff	8923409004	binad007@gmail.com
Sh. Sunil	Subordinate Staff	7456969208	
Sh. Deshpal Singh	Subordinate Staff	8923652486	
Sh. Neeraj Kumar	Sweeper	9012875446	

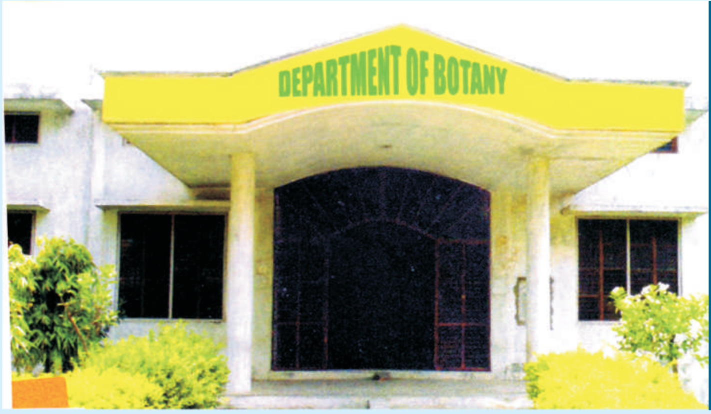

AFFILIATION

R.K.(P.G.) College, Shamli established by anAgenda of KVS, has been governed by Kishan Vidhya Sabha Since 10th July, 1958 and Affiliated to Agra University Agra and later on in 1965 to CCS University, Meerut (Formarly Meerut University, Meerut) vide University Letter No. 36561 dated 27th June, 1958. At present Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur.

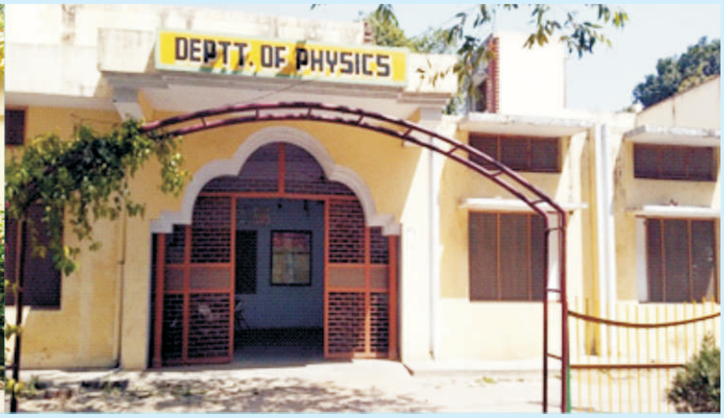

RECOGNITION

R.K.(P.G.) College, Shmali is an affiliated college recognized by UGC under section 2(f) ugc Act., 1956, vide UGC Circular No. F.8-68/78 (CP) dated June, 1980 and University Letter No. A-116-7734, dated 26th june, 1980.

!! शिक्षार्थ आइये सेवार्थ जाइये !!

राष्ट्रीय किसान कॉलिज, शामली

विद्ययाऽमृतमश्नुते

7417572324

E-mail : rkpgcollege1@yahoo.com

Website : rkcollege.in

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

द्वारा निर्गत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

स्नातक/परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रम नियावली

शैक्षिक सत्र : 2024–25

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 432/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24 दिनांक :– 10.04.24

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.01.2024 में किये गये निश्चय के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 हेतु निर्गत नियमावली पर पुनर्विचार कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र : 427/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24, दिनांक : 05.04.2024 द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ नियमावली तैयार की गई। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.04.2024 में उक्त नियमावली को यथावत् स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया, तत्क्रम में समस्त सम्बन्धित उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संशोधित नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuniversity.ac.in पर उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. समस्त सम्बन्धित।
3. कुलसचिव।
4. वित्त अधिकारी।
5. उपकुलसचिव।
6. अधिकृत एजेंसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
8. गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : /गोपनीय/एम0एस0यू0/2023–24 दिनांक:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 स्नातक/परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रम नियमावली
शैक्षणिक सत्र 2023–24

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.01.2024 के मद संख्या : 02 में पारित संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P–2020) के अन्तर्गत स्नातक(बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०)/परास्नातक (एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0) एवं शोध पाठ्यक्रमों हेतु निर्गत नियमावली पर पुनर्विचार कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 343/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24, दिनांक : 10.01.2024 द्वारा पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। पूर्व निर्गत नियमावली पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति प्रस्तुत है–

1. क्षेत्र (Scope) –

1.1 यह नियमावली स्नातक(बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०), स्नातक (शोध सहित), परास्नातक (एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0) एवं शोध पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2023–24 से CBCS व्यवस्था के अन्तर्गत लागू होगी।

1.2 जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू होते हैं उन पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2. विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–

2.1 सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/Commerce & Management etc.) का चुनाव करेगा।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।

2.3 विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसे चुने हुए स्वयं संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तृतीय मुख्य विषय वह स्वयं के संकाय अथवा अन्य संकाय से ले सकता है।

2.4 तत्पश्चात विद्यार्थी को क्रमशः प्रथम वर्ष (प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर) व द्वितीय वर्ष (तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर) में एक–एक माइनर इलैक्टिव पेपर स्वयं के संकाय अथवा अन्य संकाय से लेना अनिवार्य होगा। माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन स्वयं के संकाय से करने की दशा में तृतीय मुख्य विषय अन्य संकाय से लेना अनिवार्य है। तृतीय मुख्य विषय एवं माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन अलग–अलग संकाय से करना होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधन एवं सीटों के आधार पर माइनर इलैक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।

2.5 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स (Vocational/Skill Development) पाठ्यक्रम सूची से एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना अनिवार्य होगा।

3. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

3.1 स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) में न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने के साथ निकास (Exit) की स्थिति में मांगे जाने पर संकाय में प्रमाण–पत्र (Certificate in Faculty) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) में न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने के साथ निकास (Exit) की स्थिति में मांगे जाने पर संकाय में डिप्लोमा (Diploma in Faculty) प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) में न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर संकाय में डिग्री प्रदान की जायेगी।

नोट :– किसी भी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को निकास (Exit) के समय सम्बन्धित वर्ष के मुख्य विषय/माइनर पेपर/सह–पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम/प्रोजेक्ट/लघु शोध परियोजना इत्यादि सभी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

3.2 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।

3.3 Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

3.4 क्रमशः सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्राप्त कर निकास (Exit) करने वाले विद्यार्थी पुनः डिग्री पूर्ण करने हेतु प्रवेश के समय सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा समर्पण (Surrender) करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है।

4. डिग्री का संकाय निर्धारण एवं पूर्ण करने की अवधि –

4.1 विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

4.2 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन (BLE) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –

5.1 विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू०जी०सी०/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे। यू०जी०सी० के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।

5.2 विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।

5.3 अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

6. परीक्षा व्यवस्था –

6.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

6.2 सभी मुख्य विषयों एवं माइनर इलैक्टिव पेपर की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत बाहय मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक का कुल पूर्णांक 100 होगा।

6.3 विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होगी तथा सम–सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

6.4 सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) विषय की परीक्षा (विषम/सम–सेमेस्टर) बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

7. उत्तीर्ण प्रतिशत –

7.1 Qualifying प्रश्नपत्रों में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

7.2 मुख्य विषय एवं माइनर इलैक्टिव पेपर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) का उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा, जो CBCS आधारित होगा।

7.3 सभी सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं। सह–पाठ्यक्रम के कुल पूर्णांक 100 में से उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगें। लघु शोध (Minor project) के Qualifying होने की संस्तुति पंचम सेमेस्टर में महाविद्यालय/संस्थान के विभागीय स्तर पर प्रोजेक्ट प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सफल के लिए Q अथवा असफल के लिए NQ लिखकर की जायेगी। छठे सेमेस्टर में संयुक्त शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक व शोध निर्देशक द्वारा 100 अंक में से किया जायेगा।

7.4 कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स (Vocational/Skill Development) विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके इस पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

7.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

7.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

7.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्याकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगे।

7.8 किसी भी प्रकार के कृपाक (Grace marks) नहीं दिये जायेगे।

7.9 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (बाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में बाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

7.10 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

तालिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
0	Outstanding	91-100	10
A	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

8. कक्षोन्नति (Promotion) –

विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

9. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा –

9.1 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा में सम्बन्धित पेपर की केवल बाह्य परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकता है। पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में सम्पूर्ण (बाह्य व आन्तरिक) परीक्षा देने हेतु अनुमन्य होगा।

9.2 पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की सम्पूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता।

9.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर्स के प्रश्नपत्रों के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

9.4 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम/पेपर वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

9.5 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

9.6 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

9.7 CBCS प्रणाली में सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में विद्यार्थी सम्बन्धित सेमेस्टर के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आगामी सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं प्रश्नपत्रों के बैक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, जिनमें वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

9.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के प्रश्नपत्रों की परीक्षा में बैंक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के प्रश्न–पत्र की बैक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा।

9.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बन्धित सेमेस्टर में बैक परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे।

9.10 पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक प्रश्न–पत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक प्रश्न–पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

9.11 स्नातक पाठ्यक्रम के छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में बैठने तक यदि विद्यार्थी के प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक जिन प्रश्नपत्रों मे भी बैक होगी उन्हें उत्तीर्ण करने हेतु तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में प्रवेश से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत समस्त बैक प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस निर्धारित अवधि में यदि विद्यार्थी किसी भी प्रश्न–पत्र को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में डिग्री प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट :– यदि विद्यार्थी क्रमशः प्रथम वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता है, द्वितीय वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता तद्पोरान्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेता है तो ऐसी अवस्था में स्नातक डिग्री पूर्ण करने की अधिकतम अवधि नौ वर्ष (3+3+3) होगी।

10. SGPA / CGPA की गणना –

10.1 SGPA / CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः–

तालिका–2 (Table-2)

j^{th} सेमेस्टर के लिये : SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci	यहाँ पर Ci= Number of credits of the ith course in jth semester. Gi = Grade point scored by the student in the ith cource in jth semester. Sj = SGPA of the jth semester. Cj = Total number of credits in the jth semester.
CGPA = Σ (Cj×Sj)/ Σ Cj	

10.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :–

समतुल्य प्रतिशत = CGPA × 9.5

10.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Devision) प्रदान की जाएगी :

तालिका–3 (Table-3)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा इससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

10.4 SGPA/CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये प्रश्नपत्रों के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

11. शोध परियोजना –

11.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में एक संयुक्त लघु शोध परियोजना करनी होगी।

11.2 यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिग/इण्टरनशिप/सर्वे इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

11.3 शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

11.4 लघु शोध (Minor project) के Qualifying होने की संस्तुति पंचम सेमेस्टर में महाविद्यालय/संस्थान के विभागीय स्तर पर प्रोजेक्ट प्रगति रिर्पोट के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सफल के लिए Q अथवा असफल के लिए NQ लिखकर की जायेगी। छठे सेमेस्टर में संयुक्त लघु शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक व शोध निर्देशक द्वारा 100 अंक में से किया जायेगा, जिसमें 40 अथवा उससे अधिक अंक पाने पर Q Grade तथा 40 से कम अंक पाने पर NQ Grade दिया जायेगा।

स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम

12. क्षेत्र (Scope) –

स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में CBCS आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।

13. स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास –

13.1 नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।

13.2 स्नातकोत्तर में प्रवेश माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।

13.3 प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

13.4 स्नातकोत्तरके प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

13.5 स्नातकोत्तर में प्रवेश(Entry)/निकास(Exit) की यह सुविधा (बिन्दु संख्या : 13.4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले उन विद्यार्थियों को ही अनुमन्य होगी, जिन्होनें स्नातक (शोध सहित)/स्नातकोत्तर के विषय को स्नातक के तीनों वर्षों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।

13.6 ऐसे सभी विद्यार्थी जो स्नातक डिग्री सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं लेकिन जिस विषय में प्रवेश चाहते हैं वह विषय उन पर मुख्य विषय के रुप में तीनों वर्षों में नहीं रहा है अथवा वे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के उन्हीं विषयों में प्रवेश लेने हेतु अर्ह हैं जिनमें प्रवेश हेतु पूर्व शर्तें (Prerequisite) निर्धारित नहीं है।

13.7 स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों को मिलाकर कुल न्यूनतम 100 (52+48) क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को उस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

14. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना –

14.1 स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि प्रश्नपत्रों का प्रकार, उनकी संख्या, क्रेडिट इत्यादि तालिका (शासनादेश 13 जुलाई 2021 का अन्तिम पृष्ठ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगी।

14.2 स्नातकोत्तरमें केवल एक मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

14.3 स्नातकोत्तर के मुख्य विषय (Major Subject) के 04 सैद्धांतिक (Theory) के प्रश्न–पत्र (प्रत्येक पाँच क्रेडिट का) अथवा 04 सैद्धांतिक (Theory) के एवं एक प्रयोगात्मक (Practical) का प्रश्न–पत्र (प्रत्येक 04 क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होगें। इस प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय के प्रश्नपत्रों 20 क्रेडिट के होगें। एक वर्ष में 40 क्रेडिट व दो वर्ष (चार सेमेस्टरों) में कुल 80 क्रेडिट मुख्य विषय के होगें।

14.4 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के किसी एक सेमेस्टर (प्रथम अथवा द्वितीय) में छात्र को एक माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र, मुख्य विषय (Major Subject) से अलग किसी अन्य संकाय के विषय से लेना होगा। यह प्रश्न–पत्र 04 या अधिक क्रेडिट का होगा।

15. स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project) .

15.1 स्नातकोत्तर के प्रथम (सप्तम् एवं अष्टम् सेमेस्टर) व द्वितीय वर्ष (नवम् एवं दशम् सेमेस्टर) में विद्यार्थी को मुख्य विषय से सम्बन्धित वृहद शोध परियोजना अनिवार्य रूप में करनी होगी, जोकि प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट की होगी।

15.2 यह शोध परियोजना अन्तर्विषयक/बहुविषयक (Interdisciplinary/Multi-disciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना आद्यौगिक प्रशिक्षण/इर्न्टनशिप/सर्वे (Industrial Training/ Internship/Survey) इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

15.3 शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक (Supervisor) के निर्देशन में की जायेगी, अगर आवश्यक हो तो एक अन्य व्यक्ति को सह पर्यवेक्षक (Co-supervisor) बनाया जा सकता है, जो उस उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से सम्बन्धित होगा, जहाँ पर शोध कार्य किया जायेगा।

15.4 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट (4 घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।

15.5 विद्यार्थी विषम सेमेस्टर (सप्तम् व नवम् सेमेस्टर) के अन्त में विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षक शिक्षक व विभागाध्यक्ष के समक्ष शोध परियोजना की प्रगति आख्या (Progress Report) प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (सप्तम् व नवम् सेमेस्टर) में पूर्णांक 100 में से अंक प्रदान किये जायेगें, जिसक उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा। विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष (चतुर्थ/पंचम वर्ष) के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त वृहद शोध प्रबन्ध (Major Research Project/Dissertation) महाविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक शिक्षक (Supervisor) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक (External Examiner) द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा, उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगें। इस प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में शोध परियोजना के कुल 04–04 क्रेडिट प्रदान किये जायेंगे।

15.6 यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC – CARE listed/Referred Journal शोध पत्रिका में स्नातकोत्तरकार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त दिये जा सकते हैं। कुल प्राप्तांक अधिकतम 100 अंक ही होंगे।

15.7 शोध परियोजना के प्राप्तांक–आधारित ग्रेड अंकित होगें तथा उन्हें CGPA की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

16. पी0एच0डी0 कार्यक्रम –

16.1 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन/यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाकर लागू होंगे।

16.2 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में शोध परियोजना से पहले सभी विद्यार्थियों को प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा।

16.3 विश्वविद्यालय में प्री–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में मुख्य विषय के दो प्रश्न–पत्र 6–6 क्रेडिट के होगें तथा एक प्रश्न–पत्र 04 क्रेडिट का (उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology, Including research ethics, plagiarism and computer application) कुल 3 प्रश्न–पत्र होंगे, जो कुल 16 क्रेडिट के होंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए तीनों प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने अनिवार्य होंगे।

16.4 पी0एच0डी0 कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/CGPA से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

16.5 उपरोक्त सैद्धांतिक (Theory) प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

16.6 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स के तीनों प्रश्नपत्रों एवं शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड, ग्रेड शीट पर अंकित होंगे परन्तु शोध परियोजना के ग्रेड CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

16.7 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के तीनों प्रश्नपत्रों में 16 क्रेडिट अर्जित करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा। अगर वह शोध कार्य को आगे जारी नहीं रखना चाहता है।

16.8 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।

16.9 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–69/सत्तर–1–2022, दिनांक 06.01.2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन कक्षाओं को भी मान्यता प्रदान की जायेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बनाये जायेगें।

17. <u>सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation, CIE) –</u>

17.1 सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) के कोर्स/प्रश्न–पत्र में अधिकतम 25 अंकों का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा।

17.2 प्रत्येक सैद्धांतिक (Theory) प्रश्न–पत्र में एक लिखित आन्तरिक विवरणात्मक प्रकृति की अधिकतम 15 अंको की लिखित परीक्षा होगी। 10 अंकों का मूल्यांकन क्लास टेस्ट (Class Test), असाइनमेन्ट (Assigment), प्रश्नोत्तरी (Quizes), प्रजेन्टेशन (Presentation), लघु प्रोजेक्ट (Small Project) इत्यादि के द्वारा किया जायेगा। जोकि सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से स्पष्ट पारदर्शी नियम बनाकर किया जायेगा ।

17.3 सम्बन्धित शिक्षक द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नोत्तरी, प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को मूल्यांकन के बाद छात्रों को दिखाया जायेगा एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक अवश्य सुरक्षित रखा जायेगा।

17.4 शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य आन्तरिक मूल्यांकन के अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इसकी हार्डकॉपी अविलम्ब विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

17.5 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से वार्षिक आन्तरिक परीक्षा शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राप्त आन्तरिक परीक्षा शुल्क से करेंगे।

18. <u>उपस्थिति एवं विश्वविद्यालय परीक्षा (University Examination, UE) –</u>

18.1 विद्यार्थी के लिए परीक्षा देने से पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाने पर वह आगामी समय में सम सेमेस्टर की परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ तथा विषम सेमेस्टर की परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ दे सकता है।

18.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी के लिये "पृथक रूप से" पुनः परीक्षा अथवा बैक प्रश्न–पत्र परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

18.3 प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षायें करायी जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकतम 75 अंको की होगी।

19. उत्तीर्ण प्रतिशत –

19.1 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनुपर के द्वारा बनाये नियमानुसार होगी। इसमें परिवर्तन का अधिकार पूर्णतः विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।

19.2 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी का पूर्णांक 100 (4/5/6 Credit course) है। स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण प्रतिशत 40 होगा तथा प्री0–पी0एच0डी0 में उत्तीर्ण प्रतिशत 55 होगा।

19.3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वृहद शोध परियोजना का पूर्णांक 100 का होगा तथा यह 04 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर की होगी और इसका उत्तीर्ण प्रतिशत 40 होगा।

19.4 सभी विषयों के मुख्य/माइनर के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। वृहद शोध परियोजना हेतु मूल्यांकन कुल प्राप्तांक 100 में से ही होगा।

19.5 स्नातक (शोध) एवं स्नातकोत्तर में मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी में उत्तीर्ण होने हेतु : (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णाक 100 में से न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

19.6 किसी भी कोर्स/प्रश्न–पत्र के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा में पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उतीर्णांक 40 एवं वृहद शोध परियोजना में 50 अंक प्राप्त करने आवश्यक होगें। आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

19.7 उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

19.8 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने हेतु 5.0 न्यूनतम CGPA प्राप्त करना आवश्यक होगा।

20. कक्षोन्नति (Promotion) –

20.1 विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा मात्र विषम सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

20.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष अर्थात द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति निम्न शर्तो के अधीन दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के कोर्स/प्रश्नपत्रों (थ्योरी, प्रेक्टिकल, एवं वृहद शोध परियोजना को मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। न्यूनतम 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

(ब) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA लागू नहीं होगा।

20.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसमें न्यूनतम 5.0 CGPA के साथ उत्तीर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी निकास (Exit) करता है, तो उसे स्नातक (शोध सहित) संकाय [Bachelor (Research) in faculty] की उपाधि प्रदान की जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि पूर्ण की है तथा स्नातकोत्तर का वह विषय उसके स्नातक के तीनों वर्ष में होना अनिवार्य है। यह सुविधा बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री धारक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रदान नहीं की जायेगी।

21. क्रेडिट निर्धारण –

21.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अबेकस यूपी (**ABACUS UP**) के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम० के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या –1032 सत्तर–3–2022–08 (35)2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की संस्तुति की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यू०जी०सी० के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2023–24 से माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में लागू की गयी नीति के अर्न्तगत निम्नलिखित (तालिका–4) 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

तालिका – 4 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के लिए संस्तुत 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B	Good	61-70	7
C	Average	51-60	6
P	Pass	40-50	5
F	Fail	Below 40	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified	≥ 40 or above	-
NQ	Not Qualified	< 40 less than	-

21.2 **प्री–पी०एच०डी० कोर्स वर्क में क्रेडिट निर्धारण एवं ग्रेडिंग प्रणाली :**

21.2.1 प्री–पी०एच०डी०/PGDR कोर्स वर्क में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर आधारित माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर के द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर किये जायेगें।

21.2.2 उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)2011 टी०सी० दिनांक 13 जुलाई 2022 को संस्तुति की गयी तालिका–1 के अनुसार प्री–पी०एच०डी० कोर्स वर्क में दो प्रश्नपत्र/कोर्स (प्रत्येक 6 क्रेडिट का) सम्बन्धित विषय के तथा एक प्रश्नपत्र/कोर्स न्यूनतम 4 क्रेडिट का शोध प्रवधि अर्थात अनुसंधान क्रिया विधि (Research Methodology) का होगा। इन तीनों प्रश्नपत्रों/कोर्स में प्रत्येक 100 पूर्णांक का होगा तथा इनके उर्त्तीणांक 55 अंक होगे। यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2022 के नियम 7.8 के अनुरूप है। प्री–पी०एच०डी०/PGDR कोर्स वर्क की ग्रेडिंग तालिका–5 के अनुसार होगी।

तालिका – 5 : प्री–पी०एच०डी० कोर्स वर्क के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above average (Pass)	55-60	6
F	Fail	0-54	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

21.2.3 कोर्स वर्क के अतिरिक्त प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स में एक अनिवार्य वृहद शोध परियोजना जोकि अर्हताकारी (Qulalifying) करनी अनिवार्य होगी। यह शोध परियोजना non- credit course के रूप में मानी जायेगी। इसमें लैटर ग्रेड (Letter Grade) Q अथवा NQ दिया जायेगा। इसके ग्रेड को CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

22. CGPA/SGPA की गणना एवं श्रेणी निर्धारण –

22.1 स्नातकोत्तर / PGDR कोर्स वर्क में SGPA एवं CGPA की गणना निम्न तालिका–6 में दिये गये सूत्रों से की जाएगी :

तालिका 6 : CGPA/SGPA की गणना

jth सेमेस्टर के लिये :	यहाँ पर :
SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci	Ci= number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = Σ (Cj×Sj)/Σ Cj	यहाँ पर : Sj = SGPA of the jth semester. Cj = Total number of credits in the jth semester.

22.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA X 9.5

22.3 विद्यार्थियों को तालिका 7 के अनुसार स्नातकोत्तरमें श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

तालिका 7 : स्नातक (शोध सहित), एवं स्नातकोत्तर में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम CGPA

22.4 प्री–पी0एच0डी0 / PGDR कोर्स वर्क में तालिका 8 के अनुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी :

तालिका 8 : प्री– पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.50 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम CGPA

22.5 प्री–पी0एच0डी0 / PGDR कोर्स वर्क को उपरोक्त नियमानुसार सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर परीक्षार्थी को स्नातकोत्तर / डिप्लोमा शोध सहित डिप्लोमा (Post Graduate Diploma In Research) प्रदान किया जायेगा।

22.6 पी०एच०डी० उपाधि पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष (प्री० पी०एच०डी० कोर्स वर्क सहित) होगी तथा अधिकतम अवधि आठ वर्ष होगी। विश्वविद्यालय द्वारा अवधि को विशेष परिस्थिति में आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

डॉ० अमिता अग्रवाल
संकायाध्यक्ष कला, (सदस्य)

डॉ० गरिमा जैन,
संकायाध्यक्ष विज्ञान, (सदस्य)

प्रो० हरिओम गुप्ता,
संकायाध्यक्ष, वाणिज्य,(सदस्य)

श्री कमल कृष्ण,
उपकुलसचिव, (सदस्य/सचिव)

प्रो० ओमकार सिंह,
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहरान, सहारनपुर।

तालिका–9 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 PGDR कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year /Semester		Subject I Major 4/5/6 Credits Own Faculty	Subject II Major 4/5/6 Credits Own Faculty	Subject III Major 4/5/6 Credits Own/Other Faculty	Subject IV Minor/Elective 4/5/6 Credits Other Subject/ Faculty	Vocational Minor 3 Credits Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Minor 2 Credits Co-Curricular Course (Qualifying)	Industrial Training/Survey /Project Major 4 Credits Inter/Intra Faculty related to main Subject	Minimum Credits For The year	Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree
1	I	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--	46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--		
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--	46	(92) Diploma In Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--		
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Reserch) in Faculty
	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D Thesis		Ph.D. in Subject

Note : * = Qualifying Courses ; Th-Theory, Pract- Practical